

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन-03/स्था0ए0-15/2014.....32...../ पटना, दिनांक.....8.2.17...../

कार्यालय आदेश

प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में गठित विभागीय स्क्रूनिंग कमिटी की दिनांक-02.01.2017 को सम्पन्न बैठक में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 दिनांक-25.06.2003, 1802 दिनांक-23.03.2006 तथा संकल्प ज्ञापांक-7566 दिनांक-14.07.2010 के आलोक में भवन निर्माण विभाग में कार्यरत/सेवानिवृत्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003 एवं (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजना) नियमावली 2010 में निहित प्रावधानों के तहत प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नियमानुसार विचार किया गया।

2. तदनुसार कमिटी द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित कनीय अभियंताओं (असैनिक) के 12/10, 24/20 एवं 30 वर्षों की सेवा पूरी होने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति कालम-7 में अंकित तिथि से प्रदान की जाती है।

क्र0सं	नाम/पदनाम/वरीयता क्रमांक	प्रथम योगदान की तिथि	प्रथम ACP/MACP की देय तिथि एवं वेतनमान	द्वितीय ACP/MACP की देय तिथि एवं वेतनमान	तृतीय MACP की देय तिथि एवं वेतनमान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री जुगुनू कुमार चौरसिया (कनीय अभियंता) 227/2015	24.05.1999	प्रथम MACP दिनांक- 24.05.2009 से देय PB-2 9300-34800+G.P 4600/-	-----	-----	दिनांक 24.05.09 से प्रथम M.A.C.P. स्वीकृत।
2	श्री सुरेन्द्र सिंह (सहायक अभियंता) 69/2015	26.08.1983	-----	-----	तृतीय MACP दिनांक-26.08.2013 से देय 15600-39100 +G.P. 7600/-	दिनांक 26.08.13 से तृतीय M.A.C.P. स्वीकृत।
3	श्री शशिभूषण प्रसाद, (कनीय अभियंता) 230/2015	05.04.1999	प्रथम MACP दिनांक-05.04.2009 से देय PB-2 9300-34800+G.P 4600/-	-----	-----	दिनांक 05.04.09 से प्रथम M.A.C.P. स्वीकृत।
4	श्री अभय कुमार, (कनीय अभियंता)225/2015	01.04.1999	प्रथम MACP दिनांक-01.04.2009 से देय PB-2 9300-34800+G.P 4600/-	-----	-----	दिनांक 01.04.09 से प्रथम M.A.C.P. स्वीकृत।
5	श्री नन्दलाल यादव, (कनीय अभियंता) 103/2015	21.01.1988	प्रथम ACP दिनांक - 21.01.2000 से देय PB-2 9300 - 34800 +	-----	-----	दिनांक 21.01.2000 से प्रथम A.C.P. स्वीकृत।

6	श्री अशोक कुमार सिंह, (कनीय अभियंता) 228/2015	24.04.1999	प्रथम MACP दिनांक-24.04.09 से देय PB-2 9300-34800+G.P 4600/-	-----	-----	दिनांक 24.04.2009 से प्रथम M.A.C.P. स्वीकृत।
7	श्री आत्मा राम शर्मा, (कनीय अभियंता) 28/2015 (सेवानिवृत्त)	28.12.1981	प्रथम ACP दिनांक 09.08.1999 से देय 6500-10500 (अपुनरोक्षित) P.B.-2 (9300-34800) + G.P. 5400/-	द्वितीय ACP दिनांक 28.12.2005 से देय 10000-15200 (अपुनरोक्षित) P.B.-3 (15600-39100) + G.P. 6600/-	-----	दिनांक 09.08.1999 से प्रथम A.C.P. तथा दिनांक 28.12.05 से द्वितीय A.C.P. स्वीकृत।
8	श्री कपिल देव चौधरी, (कनीय अभियंता) 126/2015	05.01.1988	-----	द्वितीय MACP दिनांक-05.01.2009 से देय PB-3 15600-39100+G.P 5400/-	-----	दिनांक 05.01.09 से द्वितीय M.A.C.P स्वीकृत।
9	श्री विन्देश्वरी शर्मा, (कनीय अभियंता) 119/2015	05.10.1988	प्रथम ACP दिनांक-05.01.2000 से देय 6500-10500 (अपुनरोक्षित) PB-2 9300-34800+G.P 5400/-	द्वितीय MACP दिनांक-01.01.2009 से देय PB-3 15600-39100+G.P 5400/-	-----	दिनांक 05.01.2000 से प्रथम A.C.P. एवं दिनांक 01.01.2009 से द्वितीय M.A.C.P. स्वीकृत।
10	श्री नारायण पंडित (कनीय अभियंता) 249/2015	31.03.1999	प्रथम MACP दिनांक-31.03.09 से देय PB-2 9300-34800+G.P 4600/-	-----	-----	दिनांक 31.03.09 से प्रथम M.A.C.P. स्वीकृत।
11	श्री रणजीत कुमार सिन्हा (कनीय अभियंता) 127/2015	01.01.1988	-----	द्वितीय MACP दिनांक-01.01.09 से देय PB-3 15600-39100+G.P 5400/-	-----	दिनांक 01.01.2009 से द्वितीय M.A.C.P. स्वीकृत।
12	श्री महेश प्रसाद यादव (कनीय अभियंता) 208/2015	31.03.1999	प्रथम MACP दिनांक-31.03.2009 से देय PB-2 9300-34800+G.P 4600/-	-----	-----	दिनांक 31.03.2009 से प्रथम M.A.C.P स्वीकृत।
13	श्री शिवदत्त कुमार शिव (कनीय अभियंता) 125/2015	30.12.1987	-----	द्वितीय MACP दिनांक-01.01.2009 से देय PB-3 15600-39100+G.P 5400/-	-----	दिनांक 01.01.2009 से द्वितीय M.A.C.P. स्वीकृत।

3. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक-23.03.2006 में निहित प्रावधानों के आलोक में वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) ए (i) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630 दिनांक-21.01.2010 की कंडिका 12 के अनुसार किया जाएगा।

4. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की नियमानुसार वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

ह0/-

(जनक राम)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-माननीय उपमुख्य (भवन निर्माण) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/संबंधित कनीय अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 1191 (अ)

पटना, दिनांक:- 8.2.17

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।


8.2.17